निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 10/2018 (रसद अपील)

मैसर्स पूजा स्वयं सहातय समूह प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत चौरू तहसील फागी जिला जयपुर जरिये व्यवस्थापक श्रीमती हंसा देवी

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व निर्णय दिनांक 04.01.2018 व आदेश दिनांक 28.12.2017 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत पंचायत चौरू तहसील फागी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि 250/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. .पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 6-8-2019

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स पूजा स्वयं सहायता समिति उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत चौरू तहसील फागी का प्राधिकार धारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 व प्राधिकार पत्र की शर्तो तथा निर्बन्धनों एवं राज्य व केन्द्र सरकार के आदेशों व सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ जो उसे राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण यूनिट रजिस्टर तथा ई सूची में दर्ज राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को डिजीटल राशनकार्ड या आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है।

जिला कलक्टर
जयपुर

जिला रसद अधिकारी (मुख्यालय) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सचिवालय जयपुर ने अखबार मे प्रकाशित खबर का सत्यापन किये बिना ही आरोप कारित किया है, जिसका अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान से कोई सम्बन्ध नही है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय जयपुर के आदेश संख्या संस्थपन/2017/2814 दिनांक 11.10.2017 द्वारा गठित जांच दल द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया । वक्त जांच, जांचकर्ताओं को अपीलार्थी के यहां भौतिक सत्यापन पर गेहूं, चीनी व केरोसीन की मात्रा शून्य पाई गई तथा पोस मशीन कोड 14318 डिस्चार्ज पाई गई। दिनांक 11.10.2017 को गठित जांच दल ने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के

समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा अपीलार्थी के नोटिस संख्या 10104 दिनांक 25.10.2017 जारी किया गया। जिसमें अपीलार्थी के विरूद्व निम्न अनियमितताओं का उल्लेख किया गया–(1) मौके पर श्रीमती हंसा देवी अध्यक्ष पूजा स्वयं सहायता समूह अनुपस्थित मिली (2) श्रीमती हंसा देवी द्वारा प्राधिकार पत्र व स्टॉक रजिस्टर वास्ते जांच प्रस्तुत नही कराया गये, बताया कि वह सब श्रीमती हंसा देवी के पास है। (3) श्रीमती हंसा देवी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत चौरू के वार्ड नम्बर 6 से 10 कं उपभोक्ताओं को केरोसीन वितरण का कार्य समूह द्वारा किया जाता है जबकि गेहूं का आवंटन समूह को प्राप्त नही होता है (4) सांगानेर के बी एस एस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार माह सितम्बर 2016 से माह जून 2017 तक समूह को गेहूं आवंटन नहीं हुआ है जबकि पीओएस मशीन में 14318 की ऑन लाईन ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवधि में 690 किग्रा.गेहूं का फर्जी तरीके से वितरण करना पाया गया । (5) माह जुलाई 2017 में 19894 किग्रा. तथा अगस्त 2017 में 10403 किग्रा अर्थात कुल 26297 किग्रा. की आपूर्ति की गई तथा समूह द्वारा वक्त निरीक्षण तक 19905 किग्रा. गेहूं का वितरण पोस के माध्यम से किया जाना पाया गया । इस प्रकार समूह के पास कुल 6392 कि.ग्रा. अवशेष स्टॉक होना चाहिये था। गेहूं के भोतिक सत्यापन पर स्टॉक शून्य पाया गया । (6) श्रीमती इन्द्रा देवी ने दुकान पर राशन सामग्री न रखा जाना बताया तथा यह भी जानाकारी दी गई कि उपभोक्ताओं को राशन सामग्री श्री सत्यनारायण जाट की दुकान से ही की जाती है। इस संबंध में डीलर द्वारा कोई सूचना कार्यालय में नहीं दी गई। (7) समूह द्वारा संचालित दुकान श्री लक्ष्मीनारायण जाट निवासी चौरू की बताई जो वक्त निरीक्षण खाली पाई गई। (8) समूह द्वारा एवं सत्यनारायण जाट द्वारा मनमाने एवं गैर जिम्मेदारान तरीके से कार्य किया जाना स्पष्ट होता है। (9) वक्त निरीक्षण केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया गया । मौके पर डीलर द्वारा केरोसीन के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नही करवा जांच कार्य में सहयोग नहीं किये जाने का आरोप है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को न तो दिनांक 11.10.2017 के निरीक्षण पर्चा की प्रति दी और ना ही निरीक्षणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसको आधार मानकर कारण बताओं नोटिस जारी किया है, की प्रति दी गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस में तथाकथित अनियमिततओ को गलत बताते हुये दिनांक 18.12.22017 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया था। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त एवं प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की है। जिसे स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी आंगगनबाडी में सहायक के पद पर कार्यरत होने के कारण आंगनबाडी कार्यक्रम में गई हुई थी। इस कारण वक्त निरीक्षण उपस्थित नहीं थी। श्रीमती इन्द्रा देवी का उक्त उचित मूल्य दुकान से दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नही है, न ही वह समिति की सदस्य है। दिनांक 11.10.2017 को वक्त निरीक्षण राशन सामग्री शून्य थी। अपीलार्थी व पूजा स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य

से प्राधिकार पत्र स्टॉक रजिस्टर, गेहूं केरोसीन व चीनी का जांच दल द्वारा नहीं मांगा गया। उपरोक्त परिस्थिति में अपीलार्थी की दुकान का जो निरीक्षणं किया गया था वह अपीलार्थी के समूह की सदस्यों की अनुपस्थिति में किया गया जो प्राकृतिक नैसर्गिक सिद्वान्तों के विरूद्व है। निरीक्षण रिपोर्ट/फर्द मौका दिनांक 11.10.2017 की कापी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही नोटिस संख्या 10401 दिनांक 25.10.2017 के संलग्न प्रेषित की गई। नियमानुसार उपरोक्त निरीक्षण दिनांक 11.10.2017 की प्रति उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक था। इस बाबत माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी नजीर 1988 ई एफ आर के पेज नम्बर 475 शहादत हुसैन बनाम सब डिविजन कन्ट्रोल एण्ड फूड सप्लाई कटवा के पैरा 10 में उल्लेखित किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद अनुसंधान माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर एफ आर स्वीकार की जा चुकी है। अपीलार्थी निर्दोष है, अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र एवं प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

6. प्रत्यर्थी की ओर से सुयोग्य पैरोकार रसद ने अपीलार्थी के विरूद्व धारा 3 उप धारा 7 के तहत दर्ज मामले में मान्य सिविल न्यायालय द्वारा एफ आर स्वीकार किये जाने के प्रार्थी के कथन से सहमत है।

7. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

8. उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व धारा 3 उप धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दर्ज मामले में अपीलार्थी के विरूद्व आरोप साबित नहीं होने से बाद अनुसंधान माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 18.09.2018 को एफ आर स्वीकार की जा चुकी है। हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2017 व आदेश 04.01.2018 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व जब्त धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 6-8-2019 को सरे इजलास सुना गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर